टीप-साक्षी शांति देवांगन को आज दिनांक 24.01.2025 को पुनः शपथ दिलाकर साक्षी का प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया ।

(समय– 03.00)

– प्रति परीक्षण द्वारा श्री अशोक गुप्ता अधिवक्ता वास्ते वादी–

26. यह कहना गलत है कि मैंने निष्पादन न्यायालय में कमीशनर के द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में इस आधार पर आपत्ति ली थी कमीशनर को केवल मेरी बहन चैनी बाई का ही 1/6 हिस्सा का बंटवारा कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था अन्य बहनों के हिस्से के बंटवारा नहीं करना था की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की थी । साक्षी को दिनांक 04.11.2015 की आपत्ति पत्र को दिखाये जाने पर यह स्वीकार करती है कि उपरोक्त कथन के आधार पर निष्पादन न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी ।

27. यह कहना सही है कि मैं केवल चैनी बाई को 1/6 हिस्सा देना चाहती थी अन्य बहनों को नहीं देना चाहती थी इसी कारण से मैंने कमीशनर के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में आपत्ति की थी । यह कहना गलत है कि इस कारण से मैंने केवल चैनी बाई से उसके हिस्से के संबंध में समझौता किया था । मेरे पांच लड़के और एक लड़की है । यह कहना सही है कि वाद मकान में मेरा 290 वर्गफीट का ही हिस्सा है, इस कारण से मेरा पुत्र राजेश अलग मकान बना लिया है और थानेश्वर भी अलग मकान बनाकर रहता है ।

28. यह कहना सही है कि वादमकान बहुत पुराना हो गया है और जर्जर भी हो गया है । यह कहना गलत है कि वादमकान पुराना और जर्जर हो जाने के कारण से चैनी बाई समझौते के अनुसार मिले भाग को तोड़कर उस पर मकान का निर्माण करना चाहती थी । यह कहना गलत है कि इसी कारण से चैनी बाई मुझे अपने हिस्से को खाली करने के लिये कहा था । गवाह स्वतः कहती है कि अपने जीवन काल तक उसी मकान में ही रहूंगी । यह कहना गलत है कि चैनी बाई के हिस्से को खाली न करना पड़े इस कारण से चैनी बाई से हुए समझौता नामा में एवं अपने द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा व शपथपत्रीय साक्ष्य में किये गये अपने हस्ताक्षर को इंकार कर रही हूं ।

29. यह कहना सही है कि चैनी बाई अपना हिस्सा लेना चाहती है तथा मैंने अन्य हिस्सेदारों को भी आज दिनांक तक पैसा नहीं दी हूं । गवाह स्वतः कहती है कि अन्य हिस्सेदारों से मैं बना लूंगी चैनी बाई नहीं मान रही है । यह कहना गलत है कि चैनी बाई इसलिये नहीं मान रही है कि निष्पादन न्यायालय से उसका हिस्सा समझौते के आधार पर प्राप्त हो गया है । यह कहना गलत है कि समझौते के आधार पर चैनी बाई के हिस्से को मैं लालचवश खाली नहीं कर रही हूं । यह कहना गलत है कि मैं उसके हिस्से को खाली नहीं कर रही हूं इस कारण से चैनी बाई इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत की है । यह कहना गलत है कि मैं चैनी बाई को प्राप्त हिस्से में अवैध रूप से रहना चाहती हूं । गवाह स्वतः कहती है कि चैनी बाई का लड़का

रह रहा है ।

29. यह कहना गलत है कि भोला देवांगन वादिनी का पुत्र सामने के हिस्से में टेलर की दुकान कर रहा है उसके पीछे का समझौते के आधार पर प्राप्त हिस्सा 14X8 कुल 112 वर्गफीट को मैं खाली नहीं कर रही हूं । यह कहना भी गलत है कि मैं चैनी बाई के द्वारा लाइसेंसी में दिये गये हिस्से में अवैध रूप से काबिज हूं । यह कहना गलत है कि चैनी बाई के द्वारा मुझे लाइसेंसी में दिये गये भाग को खाली कराने का अधिकार नहीं है ।

(समय–03.30)

साक्षी को पढकर सुनाया गया
सही होना मानकर हस्ताक्षर किया गया।

सही/–
(**श्वेता अवस्थी**)
प्रथम व्यवहार न्यायधीश कनिष्ठ श्रेणी
के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश
बिलासपुर (छ०ग०)

मेरे निर्देशन में टंकित
किया गया।

सही/–
(**श्वेता अवस्थी**)
प्रथम व्यवहार न्यायधीश कनिष्ठ श्रेणी
के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश
बिलासपुर (छ०ग०)

साक्षी के हस्ताक्षर ....